## Kindustan Times



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

प्रधान आयुक्त का OFFICE OF THE PRIN

प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, रॉबी **SPFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER CENTRAL GOODS & SERVICES TAX, RANCHI**केन्द्रीय राजस्व भवन, 5—ए, महात्मा गाँझी रोड (मेन रोड), रॉची—834001
C.R. BUILDING, 5-A, MAHATMA GANDHI ROAD, RANCHI-834001 दूरभाष नं. (0651) 2330218



Senior Standing Counsels: Two posts

relating to Indirect Taxation before the Hon'ble Jharkhand High Court. CGST & Central Excise Commissionerates, Ranchi and Jamshedpur Nature of work: To represent the cases pertaining to the jurisdiction of

Junior Standing Counsels: Two posts

Eligible persons/Officers may submit their applications in Proforma A/A 1 along with self certified copies of relevant documents to this office on or relating to Indirect Taxation before the Hon'ble Jharkhand High Court. CGST & Central Excise Commissionerates, Ranchi and Jamshedpur Nature of work: To represent the cases pertaining to the jurisdiction of

dt. 14.09.2012 which can be downloaded from www.cbic.gov.in or may Eligibility and other terms and conditions will be as contained in DOF before 15.03.2021 at the above address. No.278A/43/2007- Legal dt. 05.12.2007 and F.No.278A/50/2011-Legal be obtained from this office

C.No.I(10)33/Legal/Ran(H)/SC/2021 Ranchi, Dated 23.02.2021

Sd/-, Deputy Commissioner (Legal) CGST & Central Excise, Ranchi

रांची, गुरुवार

25.02.2021

## प्रभात खबर



Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi

नी वंजह

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA NAFAT

प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, राँची OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER CENTRAL GOODS

& SERVICES TAX, RANCHI केन्द्रीय राजस्व भवन, 5-ए, महाल्ख्ना गाँधी रोड (मेन रोड), राँची-834001 C.R. BUILDING, 5-A, MAHATMA GANDHI ROAD, RANCHI-834001 दूरभाष नं. (0651) 2330218

## स्चना

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, राँची व जमशेदपुर के कार्यालयों के अप्रत्यक्ष कराधान से संबन्धित मामलों को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय राँची में प्रस्तुत करने के लिए दो (2) योग्य वरिष्ठ स्थायी सलाहकार एवं दो (2) कनिष्ट स्थायी सलाहकार नियुक्त किये जाने है। इच्छुक योग्य अभ्यथी आवेदन प्रपत्र एवं आवश्यक जानकारी प्रपत्र A/A 1 में उपरोक्त पते पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15.03:2021 तक है। अधिक जानकारी के लिए उपआयुक्त (विधि) केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राँची से कार्यालयी समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

योग्यता व अन्य शर्ते CBIC के DOF No.278A/43/2007-Legal dt. 05.12.2007 तथा F.No.278A/50/2011-Legal dt. 14.09.2012 के अनुसार होंग़ी जिसे www.cbic.gov.in से डाउनलोड या इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

मि.सं.1(10)33/विधि/Ran(H)/SC/2021 राँची, दिनांक 23.02.2021

ह०/-. उप आयुक्त (विधि) केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राँची

बैठक इसमें प्रभारी

ध्यक्ष